आई एल आर पंजाब और हरियाणा (1993) 1 (266-268)

समक्ष: एस. एस. सोधी और अशोक भान माननीय न्यायमूर्ति

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र और अनय-अपीलार्थी।

बनाम

शैलेंद्र धवन-उत्तरदाता।

1990 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 548

22 अगस्त, 1991

लेटर्स पेटेंट, 1919- खंड. 10-याचिकाकर्ता-प्रत्यर्थी को अनुचित साधनों का उपयोग करने पर दोषी पाया गया- उसके पास केवल प्रश्न पत्र पर कुछ परीक्षा के विषय पर लिखा हुआ पाया गया। विश्वविद्यालय द्वारा पारित अयोग्यता के आदेश को बनाए रखने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे-कोई आरोप नहीं था कि उसे कुछ बाहरी मदद मिली या परीक्षा कक्ष में कुछ सामग्री की तस्करी की गई।

अभिनिर्धारित किया गया कि जब याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आरोप नहीं है कि उसे कुछ बाहरी मदद मिली या कुछ ऐसी सामग्री की तस्करी की गई जो प्रश्न पत्र का प्रयास करते समय उसके लिए उपयोगी हो सकती है, तो प्रतिवादी याचिकाकर्ता को केवल इस आधार पर अनुचित साधनों का उपयोग करने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है कि उसने परीक्षा हॉल में बैठने के दौरान परीक्षा केंद्र पर उन्हें प्रदान किए गए प्रश्न पत्र के खाली स्थान पर कुछ काम किया था। विश्वविद्यालय द्वारा पारित अयोग्यता के आदेश को बनाए रखने के लिए कोई सबूत नहीं है।

(पैरा 3)

माननीय न्यायाधीश एम. आर. अग्निहोत्री द्वारा दिनांक 12 मार्च, 1990 के सी. डब्ल्यू. पी. संख्या 18 के निर्णय के खिलाफ 'लेटर्स पेटेंट' के खंड X के तहत अपील।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता बलराम गुप्ता, सुभाष आहूजा के साथ।

प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता आर. एल. शर्मा।

निर्णय

अशोक भान, जे.

यह लेटर पेटेंट अपील कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके तहत विश्वविद्यालय द्वारा प्रतिवादी याचिकाकर्ता को अयोग्य घोषित करने के आदेश को रद्द कर दिया गया है।

(2) रेस्पॉन्डेंट-पिटीशनरिस को बी. एस. सी. (यांत्रिक) के पाठ्यक्रम के लिए रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, कुरुक्षेत्र में वर्ष 1988 में प्रवेश दिया गया था। 13 मई, 1989 को दूसरे सेमेस्टर के गणित के पेपर-II में उपस्थित होने के दौरान, प्रतिवादी-याचिकाकर्ता अनुचित साधनों के मामले में शामिल था।उसे विश्वविद्यालय की अनुचित साधन समिति द्वारा स्थिति स्पष्ट करने के लिए उपस्थित होने के लिए बुलाया गया था।प्रतिवादी-याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप था कि उसके प्रश्न पत्र पर ,जो उसे परीक्षा कक्ष में प्रदान किया गया था, कुछ आपत्तिजनक सामग्री लिखी हुई पाई गई थी। उसे अनुचित साधन समिति द्वारा अनुचित साधनों का उपयोग करने के लिए दोषी पाया गया था और 14 दिसंबर, 1989 के विवादित आदेश के माध्यम से उसे उपरोक्त परीक्षा उत्तीर्ण करने और मई/जून, 1990 तक उक्त परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने उस आदेश पर आपत्ति जताई जिसके द्वारा उसे अयोग्य ठहराया गया था और विद्वान एकल न्यायाधीश ने विवादित आदेश को मनमाना और बिना किसी सबूत के आधार पर रद्द कर दिया और विश्वविद्यालय को प्रतिवादी-याचिकाकर्ता की दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा का परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया। यदि उसे सफल घोषित किया जाता है तो विश्वविद्यालय को प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को छठी सेमेस्टर कक्षा में भाग लेने की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था और उस प्रवेश के आधार पर उसे अगली परीक्षा में बैठने की भी अनुमति दी गई थी।कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने अपील दायर की।

(3) याचिकाकर्ता के खिलाफ सिर्फ यह तथ्य पाया गया कि परीक्षा हॉल में परीक्षा वाले दिन बैठने के दौरान परीक्षा केंद्र में प्रदान किए गए प्रश्न पत्र की खाली स्थान पर उसने कुछ लिखा था। उसके कब्जे से कोई अन्य सामग्री नहीं मिली।उत्तरदाता-याचिकाकर्ता को प्रदान किए गए प्रश्न पत्र का चौथा पृष्ठ खाली था और उसने प्रश्न पत्र के खाली पृष्ठ पर एक प्रश्न के संबंध में कुछ कड़ा काम किया था जिसे बाद में उत्तर पुस्तिका पर किया जाना था।प्रश्न पत्र के पीछे लिखाई स्वयं प्रतिवादी-याचिकाकर्ता की थी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने विश्वविद्यालय के पूरे रिकॉर्ड को देखा था और हमने भी पूरे रिकॉर्ड को देखा है जो विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा हमारे सामने रखा गया।याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई आरोप नहीं है कि उसने कुछ बाहरी मदद ली या कुछ ऐसी सामग्री की तस्करी की जो प्रश्न पत्र का प्रयास करते समय उसके लिए उपयोगी हो सकती थी।प्रतिवादी-याचिकाकर्ता को केवल इस आधार पर अनुचित साधनों का उपयोग करने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि उसने परीक्षा केंद्र में बैठने के दौरान उसे प्रदान किए गए प्रश्न पत्र के खाली स्थान पर कुछ कड़ा काम किया।विश्वविद्यालय द्वारा पारित अयोग्यता के आदेश को माननीय रखने के लिए कोई सबूत नहीं है।

(4) तदनुसार, हम एकल न्यायाधीश के निर्णय से सहमत हैं और उनके द्वारा पारित निर्णय को बरकरार रखते हैं। नतीजतन, यह अपील विफल हो जाती है और लागत पर बिना किसी आदेश के इसे खारिज कर दी जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

शिवदेव शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

अम्बाला, हरियाणा

आई एल आर पंजाब और हरियाणा (1993) 1 (266-268)